

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011  
\*\*\*\*\*

क्रमांक-एफ-70-70/2014/तीन/1409

भोपाल, दिनांक 08/09/2014

प्रति,

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निर्वाचन)  
जिला-समस्त (म0प्र0)

विषय:-सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र तथा ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र एवं उसके साथ ही सार पत्र के संबंध में आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक का मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशन।

\*\*\*\*\*

आयोग द्वारा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र के आदेश एवं शपथ-पत्र तथा ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र के आदेश एवं घोषणा-पत्र में आवश्यक संशोधन किया गया है।

जिला पंचायत के सदस्य/जनपद पंचायत के सदस्य/ग्राम पंचायत के सरपंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के पंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन-पत्र के साथ एक घोषणा-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा।

आयोग द्वारा उक्त आदेशों एवं संलग्न अनुलग्नक का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 331,332 दिनांक 01/08/2014 एवं शुद्धि-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 385, 386 दिनांक 28/08/2014 में कराया जा चुका है। उक्त राजपत्रों की छायाप्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं। कृपया राजपत्रों की छायाप्रतियाँ आपके जिले में नियुक्त रिटर्निंग आफिसरों/सहायक रिटर्निंग आफिसरों को भी उपलब्ध करा दी जावे।

यदि आप चाहे तो उक्त राजपत्रों की प्रति शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की वेबसाइट [govtpressmp.nic.in](http://govtpressmp.nic.in) या आयोग की वेबसाइट [www.mplocalelection.gov.in](http://www.mplocalelection.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
(जी0पी0श्रीवास्तव)

सचिव

2 मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
दूरभाष क्र0- 0755-2555527

पृ०क०मांक एफ-70-70/2014/तीन/


भोपाल,दिनांक / /2014

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।

✓ आई० टी० प्रभारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(जी०पी०श्रीवास्तव)

सचिव,

✓ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

पंचायत निर्वाचन  
अतिआवश्यक

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

आदेश

क्र. एफ-70-70-2014-तीन-1313.—विषय : सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, जिला पंचायत के सदस्य/ जनपद पंचायत के सदस्य/ ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान/ स्थानों को भरने के निर्वाचन में नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ "शपथ-पत्र का सार" नामक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है. "शपथ-पत्र का सार" नामक यह दस्तावेज मूल शपथ-पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जावेगा. इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये. इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा.

2. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

- (1) जिला पंचायत के सदस्य/ जनपद पंचायत के सदस्य/ ग्राम पंचायत के सरपंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा. इनमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जावेगी. इस तरह प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र एवं उसके साथ शपथ-पत्र के सार पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.

- (2) अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के प्रत्येक कालम में प्रविष्टि की जायेगी. यदि किसी कालम की जानकारी निरंक है, तो उस कालम में "निरंक" शब्द अंकित करना आवश्यक होगा. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी कालम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं, तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त कालम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा. अवगत कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नामनिर्देशन-पत्र की जांच/ संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्र खारिज किया जायेगा.
- (3) शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारी में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए.
- (4) शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा. शपथ-पत्र और उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा और मजिस्ट्रेट/ शपथ आयुक्त/ नोटरी के समक्ष शपथित होगा.
- (5) शपथ-पत्र और उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा.
- (6) अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा.
- (7) शपथ-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट अथवा जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी.
- (8) किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की प्रमाणित प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.
- (9) यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

3. यह आदेश पंचायत आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

पंचायत निर्वाचन

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर  
के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला

शपथ-पत्र

(दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावशील)

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 31-क(2)

कृपया अपना नवीनतम  
पासपोर्ट साईज की  
फोटोग्राफ चस्पा करें और  
उस पर काली स्याही से  
इस तरह हस्ताक्षर करें  
कि, हस्ताक्षर फोटो एवं  
फार्म पर आये

अनुलग्नक

- \* जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य
- \* जनपद पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य
- \* ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... के सदस्य

पद के निर्वाचन के लिये

(\*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

मैं (नाम) ..... पिता / पति का नाम ..... आयु . . . . वर्ष, वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य) ..... व्यवसाय ..... निवासी (पूरा पता) .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि:—

1. मेरा नाम, वार्ड क्रमांक . . . . . ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड ..... जिला ..... की मतदाता सूची के अनुक्रमांक . . . . . पर अंकित है.
2. मेरा सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है:—
  - 2.1 दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) (निवासी) ..... (कार्य स्थल) ..... मोबाईल नम्बर . . . . .
  - 2.2 ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो तो) . . . . .
  - 2.3 सोशल मीडिया अकाउण्ट (यदि कोई हो तो) . . . . .
3. मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों [स्वयं, पत्नि, माता-पिता, पुत्र-पुत्री (विवाहित/अविवाहित) एवं अन्य आश्रित] का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	आयु	पिता / पति का नाम	व्यवसाय	निवास का पता	अभ्यर्थी से संबंध
1						स्वयं
2						
3						
4						
5						
6						

4. आयकर स्थाई लेखा संख्यांक (PAN) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाईल करने की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			



7. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	हाथ में नकदी					
2	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग संस्थानों और सहकारी सोसाइटियों के खातों में जमा धनराशि (बचत, नियत, आवधिक आदि समस्त).					
3	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेन्चरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.					
4	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान (Investment) और रकम.					
5	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य रकम.					
6	वाहन (दो पहिया चार पहिया) कंपनी मॉडल वर्ष एवं मूल्य.					
7	जेवरात, बुलियन (बहुमूल्य धातुएं) और मूल्यवान वस्तुएं भार एवं मूल्य के ब्यौरे.					
8	अन्य कोई आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य.					
9	समग्र कुल मूल्य					

8. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

**टिप्पणी 1**—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पणी 2—प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक् तया वर्णित किया जाना चाहिए.

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नी (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1	<b>कृषि भूमि</b>					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि					
	3. रकबा (क्षेत्रफल)					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य					
2.	<b>गैर कृषि भूमि/आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड</b>					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि					
	3. रकबा (क्षेत्रफल)					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	<b>भवन ( आवासीय/व्यावसायिक )</b>					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि					
	3. क्षेत्रफल कुल माप					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य.					
4.	<b>अन्य परिसंपत्तियां</b>					
	अन्य सम्पत्तियों में हित					
5.	पूर्वोक्त 1 से 4 तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य.					



9. मेरे और मेरे पारिवारिक सदस्यों के सार्वजनिक एवं वित्तीय लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों के ब्यौरे मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है:—

**टिप्पणी 1**—यदि एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/अन्य व्यष्टिकों /निकायों का बकाया है तो प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण दिया जाये.

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1 ऋण या शोध्य	<b>( अ ) बैंक/वित्तीय संस्था ( संस्थाओं ) का ऋण या शोध्य</b>					
	1. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
1	<b>( ब ) पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य</b>					
	1. नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
	<b>( स ) कोई अन्य दायित्व</b>					
	1. नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
	<b>( द ) दायित्वों का कुल योग ( क्रमांक 1अ से 1स तक )</b>					
	2. सरकारी शोध्य	2.1 सरकारी आवास.				
2.2 जल आपूर्ति						
2.3 विद्युत् आपूर्ति						
2.4 टेलीफोन/मोबाईल.						
2.5 सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित)						
2.6 आय-कर						
2.7 धनकर						
2.8 सेवाकर						
2.9 पंचायत/संपत्ति कर						
2.10 विक्रयकर						
2.11 कोई अन्य						
3.	कुल योग (क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)					
4.	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.					

10. मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है।  
11. \* मैंने पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

अथवा

\* मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि/भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा है:—

(\*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	ग्राम का नाम जहां अतिक्रमण है	अतिक्रमित भूमि का विवरण		कितने वर्षों से अतिक्रमण है
		खसरा क्रमांक	रकबा	

12. \* मैं निरक्षर हूँ.

अथवा

\* मैं केवल साक्षर हूँ.

अथवा

\*मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:—

(\*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	योग्यता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड का नाम

### सत्यापन

मैं ..... शपथग्रहिता एतद्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक ..... माह. .... सन् ..... को स्थान. .... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान .....  
दिनांक .....

शपथग्रहिता

पंचायत निर्वाचन

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र का सार पत्र

1	अभ्यर्थी का नाम	
2	डाक का पूरा पता	
3	पिता/पति का नाम	
4	आयु	
5	जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)	
6	व्यवसाय	
7	उच्चतम शैक्षणिक योग्यता	
8	पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया है	
9	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अथवा ग्राम पंचायत का नाम	
10	विकासखण्ड का नाम	
11	जिला पंचायत का नाम	
12	आपराधिक मामलों की कुल संख्या जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है.	
13	आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो	
14	अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है (हां/नहीं)	
15	यदि हां तो अतिक्रमित भूमि का कुल रकबा	

16. आय कर विवरणी के ब्यौरे

क्र.	नाम	PAN नम्बर	वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की गई	कुल दर्शित आय (रुपये में)
1	अभ्यर्थी			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

## 17. चल अचल सम्पत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण

क्र.	नाम	चल सम्पत्ति का कुल समग्र मूल्य (रुपये में)	अचल सम्पत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (अनुमानित)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण या शोध (रुपये में)	कुल सरकारी शोध (रुपये में)
1	अभ्यर्थी				
2	पति या पत्नि				
3	आश्रित-1				
4	आश्रित-2				
5	आश्रित-3				

## सत्यापन

मैं ..... अभ्यर्थी एतद्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त सार पत्र में दी गई समस्त जानकारी, मेरे द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लिखी गई है और इस सार पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है.

आज दिनांक . . . . . माह: . . . . . सन् . . . . . को स्थान . . . . . पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान . . . . .

शपथग्रहीता

दिनांक . . . . .